Instructions are issued from time to time advising the departments to ensure that the employees wear uniforms while on duty.

(c) and (d) At present there is no proposal to discontinue the uniforms.

Letters received from M.PS.

6503. SHRI MOHAMMED AFZAL ALIAS MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the Members of Parliament to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions during the period from 1st April, 1994 to 31st March, 1995;

(b) what is the number of letters acknowledged out of them;

(c) what is the number of of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) what is the break-up of final letters issued by the Ministry containing positive and negative replies, respectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) 685

(b) and (c) Out of the above 685 letters, final replies have been sent in respect of 505 letters. The remaining letters are in various stages of consideration.

(d) The information regarding nature of replies sent in individual cases is not being maintained.

आरक्षित सूची तैयार/रद्द करना

6504. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी नियमों के अनुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची वर्तमान रिक्तियों के आधार पर ही बनायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षित चयन सूची बनाने का भी कोई प्रावधान है;

(ग) तो क्या मुख्य सूची के सभी अभ्यार्थियों को नियुक्ति देने के बाद भी आरक्षित सूची में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा सकती है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा किए जाने पर उसे निरस्त करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार पैनल का आकार विद्यमान तथा प्रत्याशित दोनों प्रकार की रिक्तियों की सुनिश्चित संख्या के बराबर होना चाहिए। कभी-कभी रिजर्व पैनल को प्रयोग, उस स्थिति के लिए किया जाता है जब चुने गए व्यक्तियों की सूची में से कुछ व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते, अथवा जब कोई रिक्त पद किसी चुने गए उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छह माह के भीतर पद से त्याग पत्र देने अथवा उसकी मृत्यु होने के कारण खाली होता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों से संबंध व्यक्तियों के लिए आवास

6505. श्री इकबाल सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण इलाकों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिये कोई प्रभावी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति लोगों एवं मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए दो ग्रामीण आवास योजनायें अर्थात इंदिरा आवास योजना तथा